माननीय श्री राम विचार राय, स0वि0स0, से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–य–12 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
(i) क्या मंत्री उर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1 क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत साहेबगंज प्रखंड के ग्राम रामपुर बिखनापुर में 63 केभीए का ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है;	वस्तु स्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत साहेबगंज प्रखंड के ग्राम रामपुर बिखनापुर में 100 केभीए का 01, 63 केभीए का 02 एवं 25 केभीए का 01 कुल 04 अद्द ट्रांसफॉर्मर अधिष्ठापित है। उक्त ट्रांसफॉर्मरों में से एक अद्द 63 केभीए ट्रांसफॉर्मर पर कुल भार 58 KW है। जिसकी क्षमता विस्तार 100 केभीए के ट्रांसफॉर्मर में बदलकर कर दिया जाएगा। इस कार्य को एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त गांव के तीन सौ से उपभोक्ताओं का विद्युत भार इसी ट्रांसफॉर्मर पर है जिसके कारण बार–बार विद्युत आपूर्ति बाधित होती रहती है और ट्रांसफॉर्मर जलने का खतरा बना रहता है;	
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त ग्राम में एक अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर लगाने का विचार रखती है, नहीं क्यो?	

श्रीमती बेबी कुमारी, स० वि० स० द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0—य—2141 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बोचहां प्रखंड में कृषि फीडर से किसानों को विद्युत कनेक्शन दिया गया था परंतु अल्प समयावधि के कारण कुछ किसान विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन नहीं कर पाये, यदि हाँ तो सरकार शेष बचे किसानों को कृषि फीडर से विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि जून 2019 तक आयोजित कैम्प में किसानों से प्राप्त कृषि विद्युत संबंध हेतु आवेदनों पर विद्युत संबंध प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है। साथ ही वैसे किसान जो कैम्प में आवेदन करने से वंचित रह गये, उनसे दिनांक 01.01.2020 से सुविधा एप/केन्द्र से ऑन लाईन प्राप्त आवेदन को भी विद्युत संबंध देने का कार्य स्वीकृत योजना के अनुरूप किया जा रहा है।

तारांकित-34

श्री संजय कुमार सिंह, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या – 1134

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड–काराकाट (गोड़ारी) के ग्राम–सकला में विद्युत ग्रिड का निर्माण कराया गया है जिसका उदघाट्न दिनांक 04.05.2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर–कमलों द्वारा किया गया था ;	रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड–काराकाट (गोडारी) के ग्राम–सकला में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत कराया गया है जिसका शिलान्यास दिनांक 04.05.2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर–कमलों द्वारा किया गया था।
2. क्या यह बात सही है कि इस ग्रिड से विद्युत सप्लाई अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र के उपभोक्ता लो वोल्टेज से परेशान रहते हैं ;	सकला विद्युत उपकेन्द्र को दिनांक 04.06.2019 को ऊर्जान्वित कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त ग्रिड को चालू कर विद्युत सप्लाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	

श्री ललन पासवान, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या – 1003/2020

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत कैमूर पहाड़ी पर एल0एण्डटी0 कम्पनी द्वारा 225 गाँवों के आदिवासियों– वनवासियों के घरों में एक सौ तीस करोड़ की लागत से सोलर प्लांट द्वारा विद्युतीकरण किया गया है ;	कैमूर जिलान्तर्गत कैमूर पहाड़ी पर एल0एण्डटी0 कम्पनी द्वारा 120 राजस्व गाँवों के आदिवासियों/वनवासियों के घरों में डी0डी0जी0 योजनान्तर्गत सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त गाँवों के लोगों के घरों में किये गये विद्युतीकरण के अंतर्गत ट्यूब्लाईट, बल्ब और पंखा प्रत्येक घर को दिया गया था, ये सभी सामग्री सस्ता और निम्न स्तर का होने के कारण खराब हो चुका है जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है ;	REC के दिशा–निर्देश के आलोक में सामग्री आपूर्ति के पूर्व PDI (Pre Despatch Inspection), स्वतंत्र एजेंसी यथा मेसर्स एन0पी0सी0सी0, मेसर्स वैपकोस, मेसर्स पी0डी0आई0एल0 द्वारा किया जाता है। जांच में सही पाये जाने पर ही विद्युत उपकरणों की आपूर्ति की जाती है। उपर्युक्त योजनान्तर्गत विद्युत उपकरणों के रख–रखाव हेतु पाँच वर्षों का करार मेसर्स एल0एण्ड0टी0 कंपनी के साथ किया गया है। अनुरक्षण एकरारनामा के अनुरूप कोई भी उपकरण खराब होने पर उसका मरम्मत अथवा बदलने का कार्य मेसर्स एल0एण्ड0टी0 कंपनी द्वारा किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इसकी जाँच कराते हुए एल0एण्डटी0 कम्पनी पर कार्रवाई करते हुए ग्रीड की स्थापना कर स्थाई बिजली देने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों ?	कैमूर जिलान्तर्गत पहाड़ों पर ग्रीड के माध्यम से बिजली आपूर्ति करने हेतु वन क्षेत्र के भूमि पर 11 के0भी लाईन का निर्माण करना होगा। वन क्षेत्र के भूमि के अपयोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वन क्षेत्र अन्तर्गत भूमि अपयोजन की कार्रवाई होने के उपरान्त 11 के0भी0 लाईन का निर्माण कर पहाड़ पर अवस्थित गाँव के आदिवासियों/वनवासियों को ग्रीड के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी।

8 श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–य–37 (1196) का प्रश्नोत्तर

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 क्या मंत्री ऊर्जा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	उत्तरदाता श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।
(1)	क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखंड में बड़ेम पॉवर सबस्टेशन से रजवरिया कला, गोगो सहित अन्य गांवो में विद्युत आपूर्ति की जाती है;	राज्य योजना के तहत ग्राम–नाउर, प्रखंड–नवीनगर, जिला–औरंगाबाद में 2×5 MVA क्षमता का 33/11 के0भी0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण का कार्यादेश दिनांक 14.02.2020 को निर्गत कर दिया गया है। कार्य पूरा करने का लक्ष्य 1 वर्ष है।
(2)	क्या यह बात सही है कि उक्त गांवों का बड़ेम पॉवर स्टेशन से लंबित दूरी होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है।	
(3)	यदि उपर्युक्त खंडो का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नाउर में उपलब्ध सरकारी जमीन पर पॉवर स्टेशन बनाने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	

श्री वशिष्ठ सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–य–46 (1372) का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड कोचस के सुरेश चौहान, पिता– श्री भगवान चौहान, ग्राम– अमैसी डिहरा का दिनांक 03.01.2019, पप्पु कुमार, पिता– जगनारायण सिंह, ग्राम– भगीरथ का दिनांक 22.08.2019 एवं मंजू देवी, पति– श्री शिवमुनि पासी, ग्राम– भगतगंज के दिनांक 05.08.2019 को विद्युत स्पर्शघात से मृत्यु हो गया था	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त मृतक के आश्रितों को अभी तक मुआवजा नही मिला है	मृतक स्व0 सुरेश चौहान के आश्रित चिंता देवी (पत्नी), मृतक स्व0 पप्पु कुमार के आश्रित श्री जगनारायण सिंह (पिता) एवं मृतक स्व0 मंजू देवी के आश्रित शिवमुनी पासी (पति) को मुआवजा का भुगतान क्रमशः चेक संख्या– 340156, 340157 एवं 340158 सभी दिनांक 20.02.2020 द्वारा भुगतान किया जा चुका है।
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की विचार रखती है, यदि हॉं तो कब तक, नही तो क्यों?	मृतक स्व0 सुरेश चौहान के आश्रित चिंता देवी (पत्नी), मृतक स्व0 पप्पु कुमार के आश्रित श्री जगनारायण सिंह (पिता) एवं मृतक स्व0 मंजू देवी के आश्रित शिवमुनी पासी (पति) को मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है।

श्री विजय कुमार खेमका, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–य–58 (1274) का प्रश्नोत्तर

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री विजय कुमार खेमका, माननीय स0वि0स0 क्या मंत्री ऊर्जा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	उत्तरदाता श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।
(1)	क्या यह बात सही है कि पूर्णियां नगर निगम क्षेत्र के मधुबनी नहर के पास शक्तिनगर/शास्त्रीनगर के पीछे आवासित मुहल्ला एवं पूर्णियां कॉलेज तालाब के पीछे विद्यापति नगर में विद्युतीकरण नहीं किया गया, यदि हां तो सरकार उक्त स्थानों पर पोल, तार, ट्रांसफॉर्मर उपलब्ध कराकर विद्युतीकरण करने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	आई0पी0डी0एस0 योजनान्तर्गत पूर्णियां नगर निगम क्षेत्र के मधुबनी नहर के पास शक्तिनगर/शास्त्रीनगर के पीछे आवासित मुहल्ला एवं पूर्णियां कॉलेज तालाब के पीछे विद्यापति नगर में विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च, 2020 है।

अ-60

श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या – 543

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला अन्तर्गत रामपुर एवं भभुआ प्रखण्ड में कृषि कार्य हेतु विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया गया है, जबकि प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा विद्युतीकरण हेतु अनुशंसा एक वर्ष पूर्व ही किया गया है; यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड में कृषि कार्य हेतु विद्युतीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	कैमूर जिलान्तर्गत रामपुर एवं भभुआ प्रखण्ड में कृषि कार्य हेतु 03 विद्युत उपकेन्द्र एवं 08 कृषि फीडर का निर्माण किया जाना है। जिसमें से 02 विद्युत उपकेन्द्र एवं 06 कृषि फीडर का निर्माण कर ऊर्जान्वित किया जा चुका है। 01 विद्युत उपकेन्द्र एवं 02 कृषि फीडर का कार्य प्रगति पर है। माननीय सदस्या के द्वारा अनुशंसित 77 स्थानों के विरूद्ध अब तक 21 किसानों का आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें 16 किसानों को कृषि हेतु विद्युत संबंध दिया जा चुका है शेष 05 किसानों को कृषि विद्युत कनेक्कशन देने हेतु संरचना का निर्माण के साथ शेष 01 विद्युत उपकेन्द्र एवं 02 कृषि फीडर का निर्माण मार्च, 2020 तक करने का लक्ष्य है।

श्रीमती गायत्री देवी, सदस्य विधान सभा, द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न
संख्या–1008, 27-6 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि सीतामढी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत महादेव पट्टी पंचायत के बेला खाप एवं सुतिहरा पंचायत के बाड़ा गाँव में बिजली का तार एवं पोल जर्जर है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त गाँव में जर्जर तार एवं पोल बदलने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। सीतामढी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत महादेव पट्टी पंचायत के बेला खाप एवं सुतिहरा पंचायत के बाड़ा गाँव में जर्जर तार एवं पोल बदलने का कार्य राज्य योजना अंतर्गत प्रगति पर है। इस कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च–2020 है।

माननीय श्री अचमित ऋषिदेव, स0वि0स0, से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–1382 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
(i) क्या मंत्री उर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत कोशकापुर उत्तर वार्ड नं0–01 में खरसाही वितरणी नहर के तट पर महादलित समुदाय टोला के 200 परिवार घर बना कर रह रहे है, जहाँ उनलोगों के घर के उपर से 11000 वोल्ट का तार गुजरता है, वहाँ कई बार बिजली का तार गिरने से आग भी लग चुकी है: यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त वार्ड के महादलित समुदाय के परिवारों के उपर से गुजरने वाली 11000 वोल्ट वाले तार और पोल को टोला से दूर हटाकर लगाने का विचार रखती है: नहीं, तो क्यों?	अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत कोशकापुर उत्तर वार्ड नं0–01 में खरसाही नहर तट पर पूर्व से 11000 वोल्ट का तार गुजर रहा है जिसके निचे घर बनाया गया है। इस लाइन को हटाने में तकनिकी कठिनाई है। इस लाईन के पुराने तार को रिकंडक्टरिंग योजना के तहत बदलते हुए सुदृढ़ कर दिया गया है।

ता-36

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या – 1195

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखंड अंतर्गत सलैया फीडर एवं तेतरिया फीडर का रिकन्डकटिंग एवं कृषि फीडर का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है तथा ट्रांसफार्मर भी कृषि फीडर हेतु नहीं लगाया गया है; यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त वर्णित फीडर में रिकन्डकटिंग कार्य को गति देने एवं कृषि ट्रांसफार्मर कबतक लगाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	बिहार सरकार के संकल्प संख्या 3490 दिनांक 20.11.2017 के आलोक में औरंगाबाद जिला में 1795 कि०मी० जर्जर तारों को बदलने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जर्जर तार बदलने के उपरांत कतिपय स्थलों पर 11 के०भी० लाईन के तारों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। जिला में कार्यरत एजेंसी के माध्यम से उक्त 11 के०भी० लाईन के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिसे मार्च, 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखण्ड में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 7 अद्द कृषि फीडर का निर्माण कराया जाना है, जिसमें 6 अद्द कृषि फीडर को ऊर्जान्वित कर दिया गया है। नवीनगर प्रखण्ड में कृषि हेतु प्रस्तावित 249 अद्द ट्रांसफार्मर के विरूद्ध 44 अद्द ट्रांसफार्मरों को ऊर्जान्वित कर 254 किसानों को विद्युत संबंध उपलब्ध कराया गया है। शेष कार्य मार्च, 2020 तक पूर्ण करने हेतु लक्ष्य निर्धारित है।

श्री सैयद अबु दौजाना, सदस्य विधान सभा द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–479 य–16 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी पावर सबस्टेशन में कन्ट्रोल रूम का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, जिसके कारण फीडर संचालन में काफी कठिनाई होती है। यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त पावर सबस्टेशन में कन्ट्रोल रूम का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है नहीं तो क्यों ?	सीतामढ़ी जिले के पुपरी विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का संचालन वहाँ स्थित कन्ट्रोल रूम बिल्डिंग से किया जा रहा है। यह पावर सब–स्टेशन पुराना है एवं पुराने पावर सब–स्टेशन के कन्ट्रोल रूम का साईज कम होता था क्योंकि उस समय कन्ट्रोल पैनल का साईज छोटा होता था एवं पावर सब–स्टेशन में अन्य पैनल यथा एनर्जी एकाउन्टींग/पावर मॉनिटरींग इत्यादि नहीं होते थे। वर्तमान में कन्ट्रोल रूम के पुराने होने एवं जगह की कमी के कारण नए कन्ट्रोल रूम बनाने की स्वीकृति देते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–य–58 का प्रश्नोत्तर

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय स0वि0स0 क्या मंत्री ऊर्जा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	उत्तरदाता श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।
(1)	क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला में सोलर मेगा प्रोजेक्ट लगाने हेतु 4 वर्ष पूर्व में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था, यदि हां तो उक्त जिला में अबतक सोलर मेगा प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में कार्य प्रगति नहीं होने का क्या औचित्य है?	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला में सोलर मेगा प्रोजेक्ट लगाने हेतु कोई योजना प्राप्त नहीं है।

य-72

श्री मो0 तौसीफ आलम, स0 वि0 स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–य–2191 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाच्छ प्रखंड के मटियारी पंचायत के वार्ड नं0–01, 02 एवं 03 गरीटोली, बैसा टोली में कृषि कार्य हेतु विद्युतीकरण नहीं किया गया है. यदि हाँ, तो सरकार उक्त गाँवों में तार, पोल एवं ट्रांसफार्मर लगाकर कृषि कार्य हेतु विद्युत की आपूर्त्ति करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाछ प्रखंड के मटियारी पंचायत के वार्ड नं0–01, 02 एवं 03 गरीटोली, बैसा टोली में कृषि कार्य हेतु कुल 16 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसके विरूद्ध 6 कृषि विद्युत संबंध प्रदान किया गया है। शेष आवेदकों को कृषि संबंध प्रदान करने का लक्ष्य मई, 2020 है।

श्री मो0 तौसीफ आलम, स0 वि0 स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–यू–73 (2192) का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाच्छ प्रखंड के चिलअनियाँ के वार्ड नं0–15 बिहार टोला, महादलित टोला में कुल 1000 महादलितों की संख्या है, जिसमें विद्युतीकरण हेतु 6 माह पूर्व पोल गाड़ कर छोड़ दिया गया है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त महादलित टोलों में बिजली की तार एवं ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत की आपूर्त्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाछ प्रखंड के चिलअनियाँ के वार्ड नं0–15 बिहार टोला, महादलित टोला में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। उक्त टोला में सभी इच्छुक लोगों को विद्युत संबंध प्रदान करने का लक्ष्य मार्च, 2020 है।

श्रीमती बेबी कुमारी, सदस्य विधान सभा, द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न
संख्या–2142 2/-9/ का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :– 1.यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत प्रखंड मुशहरी के ग्राम पंचायत मणिका हरिकेष से नवादा चौक तक 11 हजार वोल्ट का खुला विद्युत तार गुजरता है जिससे हमेशा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ तो सरकार खुला विद्युत तार की जगह केबल वायर लगाने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत प्रखंड मुशहरी के ग्राम पंचायत मणिका हरिकेष से नवादा चौक तक 11 हजार वोल्ट का खुला विद्युत तार गुजरता है। जिसे केबुल से बदलने की वर्त्तमान में कोई योजना नहीं है।

श्री वशिष्ठ सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–य–45 (1371) का प्रश्नोत्तर

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री वशिष्ठ सिंह, माननीय स0वि0स0 क्या मंत्री ऊर्जा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	उत्तरदाता श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।
(1)	क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत प्रखंड कोचस के चंदेश्वर शर्मा, पिता–राम सिंगासन शर्मा, ग्राम–कपसियां का दिनांक 16.02.2019 एवं रोहित शर्मा, ग्राम–सैलास का दिनांक 24.06.2019 को विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु हो गयी थी। परंतु मृतक के आश्रितों को अभीतक मुआवजा नहीं मिला है, यदि हां तो क्या सरकार उक्त मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की विचार रखती है, नही तो क्यों?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। मृतक स्व0 चंदेश्वर शर्मा की मृत्यु चापाकल मरम्मती के दौरान धातु का पाईप निकालते वक्त पाईप निम्न विभव लाईन के संपर्क में आने के कारण विद्युत स्पर्शाघात से हुई है। मृतक स्व0 रोहित शर्मा, राजमिस्त्री की मृत्यु मकान के छत पर कार्य करने के दरम्यान मकान के नजदीक से गुजर रहे निम्न विभव लाईन के संपर्क में आने के कारण विद्युत स्पर्शाघात से हुई है। दोनों मृतकों की मृत्यु स्वयं की लापरवाही से हुई है। इसमें विभाग का कोई दोष नहीं है। अतः इस मामलों में मुआवजा देय नहीं है।

श्री अजीत शर्मा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–य–39 का प्रश्नोत्तर

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री अजीत शर्मा, माननीय स0वि0स0 क्या मंत्री ऊर्जा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	उत्तरदाता श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।
(1)	क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड में विद्युत पावर ग्रिड के निर्माण 3 वर्षो से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं किया गया है, यदि हां तो सरकार उक्त पावर ग्रिड के शीघ्र निर्माण कर विद्युत आपूर्ति बहाल करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड में 132/33 के0भी0 ग्रिड उपकेन्द्र का निर्माण के लिए भूमि का हस्तांतरण फरवरी, 2018 में हुआ। उक्त ग्रिड का निर्माण मार्च, 2020 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–य–35 (1190) का प्रश्नोत्तर

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री प्रभुनाथ प्रसाद, माननीय स0वि0स0 क्या मंत्री ऊर्जा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	उत्तरदाता श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।
(1)	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा निर्वाध बिजली उत्पादन से संबंधित सौर ऊर्जा प्लान्ट लगाने का निर्णय 2016 में लिया गया है;	अस्वीकारात्मक है।
(2)	क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला में अभी तक एक स्थान पर भी सौर ऊर्जा प्लान्ट नहीं लगाया गया है, जबकि ग्रड़हनी प्रखंड अंतर्गत का उप पंचायत के ग्राम देवढ़ी में प्रचुर मात्रा में सरकारी भूमि भी उपलब्ध है;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिले में मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना के तहत सरकारी भवनों के छतों पर कुल 105 किलोवाट रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट की अधिष्ठापन का कार्य किया जा चुका है तथा 33 किलोवाट रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है।
(3)	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्थल सौर ऊर्जा प्लान्ट लगाने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	वर्त्तमान में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–य–59 (1757) का प्रश्नोत्तर

खंड	प्रश्नकर्त्ता सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान, माननीय स0वि0स0 क्या मंत्री ऊर्जा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	उत्तरदाता श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।
(1)	क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के फलका प्रखंड में मधेली पंचायत, गोबिन्दपुर पंचायत के 6 नं0 वार्ड में तार जर्जर स्थिति में है। जिसके कारण कभी भी अनहोनी हो सकती है, यदि हां तो क्या सरकार उक्त वार्ड के जर्जर तार को बदलने का विचार रखती है, नही ंतो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक है। कटिहार जिला के फलका प्रखंड में मधेली पंचायत एवं गोबिन्दपुर पंचायत के 6 नं0 वार्ड में कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

श्री आबिदुर रहमान, स० वि० स० द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–य–1576/का उत्तर प्रतिवेदन।

य-54

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
(1) यह बात सही है कि अररिया जिला के अररिया प्रखंड के कमलदाहा पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं०–08 डीहा गाँव में आरिफ के घर से जाहिद के घर तक बिजली का पोल एवं तार नहीं रहने के कारण लोगों को बिजली से वंचित रहना पड़ रहा है,	अररिया प्रखंड के प्रश्नवर्णित पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं०–08 डीहा गाँव में नये बसावटों के विद्युतीकरण का कार्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अन्तर्गत प्रगति पर है। कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च, 2020 है।
(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड एक में वर्णित स्थलों में बिजली का पोल एवं तार लगाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	

श्री मनोहर प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–य–19 (503) का प्रश्नोत्तर

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री मनोहर प्रसाद सिंह, माननीय स0वि0स0 क्या मंत्री ऊर्जा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	उत्तरदाता श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।
(1)	क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत बाघमारा पंचायत के वार्ड संख्या–05, 07, 09, 10 में विद्युत तार जर्जर है, यदि हां तो क्या सरकार वहां नया तार लगाने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत बाघमारा पंचायत के वार्ड संख्या–05, 07, 09, 10 में स्वीकृत रिकन्डक्टरिंग योजना के प्रावधान के अनुसार जर्जर तारों को बदला गया है। वार्ड नं0–05 एवं 07 में जर्जर तारों को बदलने का लक्ष्य मार्च, 2020 है।